न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 63/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/70

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–
1. हितेश पुत्र श्री अम्बालालजी कलाल (पटेल) मैसर्स – विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास, सुरवानिया, बांसवाडा
2. Mahendra Kumar s/o Shri Ramjulal Gupta m/s – G-1/75/84 Industrial Area, Banswara
3. Shyam Sunder Goyal m/s Goyal Sales Corporation Plot No- 61 Bunglow No- 59 In Front of Kamal Agresen Bhavan, Neemuch (M.P) 458441

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09–01–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 28–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16–02–2022 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास, सुरवानिया, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर हितेश पुत्र श्री अम्बालालजी कलाल उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** के 880 – 880 ग्राम के 42 पैक मूल प्लास्टिक बोतल आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** की 4 पैक मूल प्लास्टिक बोतल वास्ते [illegible] इनकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्र[illegible] तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तसदीक की। नमू[illegible] **Refined Soyab**[illegible] **Oil (Brand – Ishan Gold)** की 4 पैक मूल प्लास्टि[illegible]बोतल को नियमानुसार [illegible]न्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:39:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/86–87 दिनांक 15–03–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 215 दिनांक 07–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 09.01.2023 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 3 ने पत्र के साथ श्री संजय छाबडा को अपनी ओर से उपस्थिति के लिये नामित किया। उक्त पत्र लेकर उनके प्रतिनिधि श्री संजय छाबडा उपस्थित हुए। उपस्थित अप्रार्थीगणो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/86–87 दिनांक 15–03–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक [illegible] दिनांक 07–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:39:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाये गए **Refined Soyabean Oil (Brand – Ishan Gold)** को विक्रय करके विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **हितेश पुत्र श्री अम्बालालजी कलाल (पटेल) मैसर्स – विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास, सुरवानिया, बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), Mahendra Kumar s/o Shri Ramjulal Gupta m/s & G-1/75/84 Industrial Area, Banswara को रूपये 25,000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र), Shyam Sunder Goyal m/s Goyal Sales Corporation Plot No- 61 Bunglow No- 59 In Front of Kamal Agresen Bhavan, Neemuch (M.P) 458441 को रूपये 1,00,000/– (अक्षरे रू एक लाख मात्र)के** अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पावंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

09/01/2023

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:39:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner